प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक- 26.03.2023

थाना दोघट पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 406/420/482/120बी भादवि व थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 249/23 धारा 406 भादवि का सफल अनावरण करते हुए पैट्रोल पंप से तेल लेकर भागने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से तेल बेचकर प्राप्त रुपयों में से 1100 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 15-03-2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी योगेश कुमार पुत्र मंगल सैन निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि गुप्ता सर्विस स्टेशन भारत पेट्रोलियम बडौत रोड कस्बा बागपत से एक कार आई-10 रंग सफेद नम्बर UP-37CA-9856 चालक नाम पता अज्ञात के द्वारा अपनी गाडी आई-10 व गाडी में रखी केन में 27443 रूपये का डीजल/पैट्रोल भरवाकर बिना भुगतान करे फरार हो गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 249/23 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

2-दिनांक 17.03.23 को दोघट पर वादी श्री अंकित राणा मैनेजर फिलिंग स्टेशन ग्राम दाहा थाना दोघट ने सूचना दी कि एक कार आई-10 रंग सफेद नम्बर UP-37CA-9856 चालक नाम पता अज्ञात के द्वारा राणा फिलिंग स्टेशन से अपनी गाडी आई-10 में 1929 रूपये का पेट्रोल व गाडी में रखी केन में 24,763 रूपये का डीजल भरवाकर बिना भुगतान करे फरार हो गया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 72/23 धारा 406 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 420/482/120बी भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 72/23 धारा 406420/482/120बी भादवि व थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 249/23 धारा 406 भादवि का सफल अनावरण करते हुए पैट्रोल पंप से तेल लेकर भागने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से तेल बेचकर प्राप्त रुपयों में से 1100 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 नं0 UP 37 CA 9856 फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रूपेश पुत्र सत्यप्रकाश निवासी बागडी गांव वाकरनेर थाना नरेला दिल्ली।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त रूपेश ने पूछताछ पर बताया कि मैंने गाडी नंबर DL8C BD 4978 को किराये पर लिया था तथा अपने दोस्त प्रदीप दहिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी नाहरी फिरनी थाना सोनीपत हरियाणा के साथ मिलकर गाडी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अलग अलग शहरो में जाकर पेट्रोल पम्प से अपनी गाडी में व कैनो में डीजल व पेट्रोल भरवा लेते है। दिनांक 15.03.23 को हमने बागपत आकर गुप्ता सर्विस स्टेशन भारत पेट्रोलियम से गाडी नंबर UP 37 CA 9856 की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाडी में रखी कैनो में 27443 रुपये का डीजल व पैट्रोल भरवाया और वहां से भाग गये थे। दिनांक 17.03.2023 को उसी गाडी से राणा फिलिंग स्टेशन दाहा में गाडी में रखी कैनो में 24763 का डीजल व गाडी की टंकी में 1929 रुपये का पेट्रोल भरवाया और हम वहां से बिना पैसे दिये फरार हो गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- पैट्रोल/डीजल बेचकर प्राप्त रूपयों में से 1100 रुपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त एक कार आई-10 न0 UP 37 CA 9856 फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 72/2023 धारा 406/420/482/120बी भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 249/2023 धारा 406/420/482 भादवि थाना कोतवाली जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 79/2022 धारा 406/411/420/467/468/471/506 भादवि थाना जुलाना जनपद जिंद हरियाणा।

4-मु0अ0सं0 178/2022 धारा 379/420 भादवि थाना जिंद सदर जनपद जिंद हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
2-एसओजी प्रभारी श्री रविन्द्र पलावत मय टीम।
3-का0 1072 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।
4-एचजी 391 रमेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 26-03-2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये 3जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम पता-

जगपाल पुत्र सुखलाल निवासी गांव काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 26-03-2023**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर व जिलाबदर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चैकिंग के दौरान एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खलील पुत्र छोटे निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 508 मंजीत कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-का0 179 सचिन कुमार कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 26.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 272/23 धारा 376/323/504/354ख/506/511 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 272/23 धारा 376/323/504/354ख/506/511 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आदिल पुत्र इसरार निवासी मौ0 ठाकुरद्वारा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 508 मंजीत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 26-03-2023

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-कैलाश पुत्र महावीर निवासी शाहपुर बडौली थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-सतेन्द्र उर्फ कालू पुत्र भोपाल निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 120 मनोज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत **दिनाँक 26-03-2023**

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 673/22 धारा 147/148/149/323/307/336/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24-07-2022 को थाना कोतवाली बडौत पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खरखडी में दो पक्षो में झगडा हो रहा है सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे जहां पर प्रथम पक्ष के अभियुक्त 1. इकबाल, 2. बिलाल, 3. शोएब, 4. आसिफ , 5. जमशैद, 6. मुस्तफा, 7. खुर्शेदे, 8. मौसिन, 9. साकिर, 10. अय्यूब, 11. साहिल, 12.मुनफेद, 13. ईदरिश, 14.असलम,15. लियाकत निवासीगण ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत तथा द्वितीय पक्ष के अभियुक्त 1. तनवीर, 2. मनीष, 3. गुल्ला, 4. जुबैर, 5. काला, 6. वकील, 7.इमरान, 8. मुस्तकीम, 9. शरफराज, 10. अनिस, 11. अफसर , 12. गुलशेर उर्फ नूरा उर्फ नूर मौहम्मद , 13. मनीष पुत्र जबरदीन , 14. गुलफाम, 15. अमित , 16. आलू, 17. शकील निवासीगण ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत आपस में अपने-अपने हाथो में लाठी-डन्डे, धारदार हथियार व अवैध तमंचे लेकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने कि नियत से फायरिंग तथा मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड रहे थे। झगडे में साहिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम खरखडी घायल हो गया। पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नही माने और झगडा करने लगे। आस-पास के लोगों ने बताया कि दिनांक 20.07.22 को इन्ही दोनों पक्षो का झगडा हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। उक्त झगडे के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0

673/22 धारा 147/148/149/323/307/ 336/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 673/22 धारा 147/148/149/323/307/336/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 25.07.22 को 01 अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लियाकत पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम खरखडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बडौत
2-है0का0 59 विजयपाल सिंह थाना कोतवाली बडौत

प्रेस नोट

थाना दोघट दिनाँक-26.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 21/2023 धारा 457/380 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुआ एक छत का पंखा व एक प्रेस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.01.2023 को थाना दोघट पर श्री अनुज पुत्र हरपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 15.01.2023 को अभियुक्तगण 1-नरेन्द्र, 2-अजय, एक महिला निवासीगण ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट व कुछ अन्य अज्ञात व्युक्तियों ने वादी के घर में घुसकर ताले तोडकर वादी के घर का सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 21/023 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 21/23 धारा 457/380 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक छत का पंखा व एक प्रेस बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अजय उर्फ संजीव पुत्र हरिकिशन निवासी आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।

2-नरेन्द्र पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी आसिफपुर उजैडा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- एक छत का पंखा।
- एक प्रैस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना दोघट जनपद बागपत।

2-का0 857 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 26.03.2023**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आबिद पुत्र इस्लामुद्दीन उर्फ इस्लाम निवासी नई बस्ती थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना खेकडा

2-का0 455 विजय सैनी थाना खेकडा

3-का0 427 अरूण भाटी थाना खेकडा

प्रेस नोट

थाना खेकडा **दिनाँक 26.03.2023**

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री प्रेम सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत